विचार बिन्दु

सुबह से शाम तक काम करके आदमी उतना नहीं थकता, जितना क्रोध या चिंता से पल भर में थक जाता है। –जेम्स एलन

शासन प्रशासन में नवाचार, आज की महती आवश्यकता

नवाचार का अर्थ है, किसी कार्य को नए प्रकार से करना। नवाचार वही कर सकता है जो यथा स्थिति से संतुष्ट नहीं है एवं उसे यह लगता है कि इसमें सुधार होना चाहिए। सामान्यतः धारणा यह है कि नवाचार केवल विज्ञान और कला के लिए ही आवश्यक होता है। यह धारणा सही नहीं है । हमारी शासन और न्याय प्रणाली अब भी अंग्रेज़ों वाली ही चल रही है। प्रशासन में नवाचार की बहुत आवश्यकता है। यहां किए गए नवाचार का सीधा प्रभाव साधारण नागरिक पर पड़ सकता है।

नवाचार करने के लिए पहली आवश्यकता सृजनशीलता की है । जो व्यक्ति सृजनशील शील नहीं है, वह नवाचार करने में भी अधिक समर्थ नहीं हो पाता।

यथा स्थिति बनाए रखने से स्थिति में बदलाव नहीं होता। व्यक्ति चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, जब तक नवाचार नहीं करेंगे, तब तक स्थितियों में बदलाव की संभावना नगण्य रहेगी। प्रशासन के संदर्भ में यह बात बहुत सटीक बैठती है । अधिकांश प्रशासक केवल एक नीति को अपनाते हैं कि जैसा चल रहा है, वैसा ही चलते रहने दें । जिनके मन में कुछ करने की ललक होती है और जो शासन का लाभ जनता के वंचित वर्ग तक पहुंचाना चाहते हैं, वही नवाचार के तरीके ढूंढते हैं और ऐसा करने में सफल भी होते हैं।

प्रश्न यह उठता है कि अधिकांश लोग नवाचार क्यों नहीं करते? प्रत्येक व्यक्ति में नवाचार करने की असीम क्षमता होती है, किंतु वे विभिन्न कारणों से ऐसा नहीं करते। हम इन्हीं कारणों का विवेचन करेंगे ।

पहला, व्यक्ति अपने प्रयासों के परिणामों के प्रति अति सुनिश्चित होना चाहता है। जब कोई काम पहली बार किया जाता है तो उसके परिणाम में अनिश्चितता का कुछ अंश अवश्य रहता है। जो व्यक्ति कुछ अनिश्चित परिणाम का जोखिम नहीं उठाना चाहते, वे सामान्यतः कभी नवाचार नहीं कर पाते।

दूसरा, नवाचार करने से लोग इसलिए भी हिचकते हैं कि लोग क्या कहेंगे? विश्व में जब भी किसी ने कोई भी काम नई तरीके से किया, तो पहले लोगों ने उसका उपहास किया, भले ही आगे चलकर वह बहुत सफल हुआ हो। जो व्यक्ति लोगों के कहने की बहुत अधिक परवाह करते हैं, वे कभी भी कोई भी काम नए तरीके से करने का जोखिम नहीं ले सकते।

तीसरा, जिस व्यक्ति में असफलता को स्वीकार करने का साहस नहीं हो, वह भी नवाचार नहीं कर सकता। हमारे समाज में सामान्यतः असफलता को एक प्रकार से तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है । बचपन से ही बच्चों में केवल सफल होने की ही बात बिठा दी जाती है । इस सोच के कारण असफलता का भय बहुत अधिक होता है और यही कारण है कि जब वे बड़े होते हैं, तो वे कोई काम नई तरीके से करने में डरते हैं।

नवाचार करने के लिए जिस गुण की आवश्यकता होती है, वह है सृजनशीलता। सृजनशील व्यक्ति किसी भी स्थिति या समस्या के हल के बारे में कई प्रकार के विकल्प ढूंढ सकता है। हमारी शिक्षा पद्धति कुछ इस प्रकार की है कि वह विद्यार्थी को केवल एक ही दिशा में सोचना सिखाती है। परीक्षा में प्रश्न भी ऐसे पूछे जाते हैं, जिनका एक ही उत्तर सही होता है। सही उत्तर पर पूरे अंक मिलते हैं और गलत विकल्प पर नेगेटिव मार्किंग होती है। इस प्रकार की सोच से व्यक्ति उन समस्याओं का हल तो ढूंढ सकता है जिसका एक ही हल है। इस प्रकार की शिक्षा और परीक्षा पद्धति से लोगों की सोच एक ही दिशा में सोचने की हो जाती है। जब भी परिस्थितियां अलग प्रकार की हों तो ऐसी सोच से हल निकालने में सहायता नहीं मिलती। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी को पूछें कि चाय के कप में हैंडल किस साइड में होता है, तो लगभग सभी इसका उत्तर "left" या "right " देंगे जो सत्य नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि उन्हें सदैव दो ही साइड बताई जाती है, "left" और "right "। वे यह नहीं सोच पाते कि साइड "inside" और "outside" भी होती है। यदि वे उत्तर "outside" देते तो वह बिल्कुल सही होता।

सृजनशीलता से अधिकाधिक विकल्प खोज पाने में सहायता मिलती है । दुर्भाग्य से, हमारी शिक्षा पद्धति ने प्रारंभ से ही सृजनशीलता को उभारने के बजाय दबाने का काम किया है। यही कारण है कि विश्व में नोबेल पुरस्कार विजेताओं में भारतीयों की संख्या नगण्य है जबकि छोटे-छोटे देशों में अनेक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। भारत में रहने वाले केवल भारतीय वैज्ञानिक सर सी वी रमन को यह पुरस्कार 1930 में मिला था। उसके बाद किसी को नहीं मिला।

सृजनशीलता के आधार पर अनेक समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया जा सकता है और इसका परिणाम नवाचार के रूप में सामने आ सकता है। हम कह सकते हैं कि सृजनशीलता, प्रक्रिया है और नवाचार उसका परिणाम। प्रयास यह होना चाहिए कि व्यक्ति सृजनशील होने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित हो। सृजनशीलता की सहायता से, समस्याओं का हल निकालने की कुछ विशेष तकनीकें हैं जिनका, यहां उल्लेख करना उपयुक्त होगा। इनके उपयोग से सामान्य जन जीवन की समस्या और प्रशासन की समस्याओं का प्रभावी हल निकाला जा सकता है ।

> **सृजनशीलता के आधार पर अनेक समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया जा सकता है और इसका परिणाम नवाचार के रूप में सामने आ सकता है। हम कह सकते हैं कि सृजनशीलता, प्रक्रिया है और नवाचार उसका परिणाम। प्रयास यह होना चाहिए कि व्यक्ति सृजनशील होने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित हो।**

पहली है 'ब्रेनस्टॉर्मिंग' या मानस - मंथन। इस विधि के अंतर्गत, किसी समस्या से जुड़े हुए व्यक्तियों को एक स्थान पर एकत्रित किया जाकर, प्रत्येक से उसका हल सुझाने के लिए कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान, किसी अन्य के दिए गए सुझाव का, तत्काल मूल्यांकन करने से रोका जाता है। कहा जा सकता है कि सरकार की सामान्य बैठकों में यही तो किया जाता है। किंतु इनमें एक बड़ा अंतर है। सरकारी बैठकों में कई बार किसी कनिष्ठ अधिकारी के द्वारा दिए गए सुझाव को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बेतुका या अव्यवहारिक बता कर प्रारंभ में ही खारिज कर दिया जाता है। यदि मानस- मंथन की प्रक्रिया होती, तो ऐसा करना संभव नहीं होता। इसमें प्रत्येक सुझाव को केवल नोट कर लिया जाता है।

एक बार जब सारे सुझाव प्राप्त हो जाएं, तब अंत में एक-एक करके उनका मूल्यांकन करके, श्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है । इस विधि से प्राप्त हल, अधिकांशतया नवाचारी और प्रभावी होता है। प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन करने का एक दुष्प्रभाव यह होता है कि कई कनिष्ठ अधिकारी अपनी बात कहने से संकोच करने लगते हैं। अतः, समस्या के बारे में अधिक विकल्प प्राप्त नहीं हो पाते। परिणाम स्वरुप, विभाग किसी भी नए समाधान को प्राप्त करने से वंचित हो जाता है। इस प्रकार की हिचक को निकालने से ही कई नए प्रकार के हल सामने आने की संभावना बनती है और विकल्प भी अधिक उपलब्ध हो जाते हैं। पाठकों के लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि इसी तकनीक के प्रयोग का ही परिणाम था कि सोफ्टी आइसक्रीम की शुरुआत हुई। इससे पूर्व सब लोग इस समस्या से जूझ रहे थे कि आइसक्रीम खाने के बाद प्लास्टिक या कांच का निस्तारण किस प्रकार किया जाए? केवल एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र से इस गंभीर समस्या का हल निकालने की दिशा में सहायता मिली।

दूसरा प्रमुख तरीका है किसी भी समस्या के बारे में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछना, जो सामान्यतया नहीं पूछे जाते हैं, जैसे प्रक्रिया को ठीक उल्टा कर दिया जाए तो क्या हो, उसे बहुत छोटा बड़ा कर दिया जाए, तो क्या हो, क्या इस काम को किसी वैकल्पिक तरीके से किया जा सकता है, प्रक्रिया में से कुछ हिस्से हटा दिए जाएं तो क्या हो, कुछ और जोड़ दिये जायें तो क्या हो आदि आदि। वर्तमान स्थिति के बारे में क्या, क्यों, कैसे, कहां, किसके द्वारा, कब, जैसे प्रश्न लगातार पूछे जाने चाहिएं । संभव है, उनके उत्तर में ही वह समाधान छिपा हो, जिसे अपनाने से समय, श्रम एवं धन की बचत हो एवं साथ ही नागरिकों को सुविधा भी हो ।

किसी भी विभाग में नवाचार को प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मानस- मंथन की प्रक्रिया के दौरान वरिष्ठ और कनिष्ठ का अंतर नहीं रखा जाए। कई बार निम्न पायदान के अधिकारी / कर्मचारी भी कुछ ऐसे हल सुझा सकते हैं जो शायद बड़े-बड़े अधिकारियों के ध्यान में नहीं आया हो, क्योंकि ये लोग दिन प्रतिदिन जनता के संपर्क में अधिक आते हैं और वे समस्याओं से भली भांति परिचित भी होते हैं। किसी भी समस्या का नवाचारी हल निकालने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि समस्या का समाधान केवल लक्षण के आधार पर करने के बजाय, उसकी जड में जाने का प्रयास किया जाए । वरना ऐसा ही होगा, जैसे किसी समस्या रुपी पेड़ के पत्तों को तोड़ा भी जाए तो पत्ते फिर उग आएंगे और समस्या पहले से भी विकराल रूप धारण कर लेगी। आवश्यकता, समस्या की जड़ पर प्रहार करने की है ।

नवाचार की प्रवृत्ति, उस विभाग अथवा संस्थान में अधिक होगी, जहां कार्यरत अधिकारियों/कार्मिकों को यह डर नहीं हो कि उनके द्वारा किए गए किसी नवाचार के असफल हो जाने पर उन्हें दंडित किया जाएगा। जैसा कि ऊपर लिखा है, किसी भी कार्य को पहली बार करने से उसके सफल अथवा असफल होने, दोनों की संभावना होती है । यदि किसी अधिकारी का नवाचार असफल होने पर उसे दंडित नहीं किया जाएगा एवं उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो सरकार के विभागों में नए-नए हल लागू करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में, अधिकांश राजकीय अधिकारी, यहां तक कि विभागाध्यक्ष /सचिव भी यथा स्थिति बनाए रखने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना पड़ता। यह जनहित में कतई नहीं है, क्योंकि समय के साथ-साथ समस्याओं का स्वरूप बदलता रहता है और उसी के अनुरूप उनके समाधान भी बदलने की आवश्यकता पड़ती है ।

नवाचार उस क्षेत्र में अधिक होता है जहां प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक होती है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में टिके रहने के लिए भी अपने काम करने के तरीकों में निरंतर बदलाव की आवश्यकता होती है। चूंकि सरकारी विभागों के समक्ष कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, अतः वहां नवाचार करने पर दबाव भी कम होता है। पाठकों को याद होगा जब लाइसेंस, कोटा और एकाधिकार का समय था, तब किसी भी व्यवसाई ने नवाचार करने की आवश्यकता नहीं समझी । पहले केवल एम्बेसेडर कार होती थी, तो उसमें बहुत अधिक संशोधन या उसे बेहतर बनाने हेतु निर्माताओं पर दबाव नहीं था। दूरभाष भी केवल सरकार का ही आता था। जनता के पास कोई विकल्प न होने के कारण, उन पर सुधार हेतु कोई दबाव नहीं था। जैसे ही 1991 के उदारीकरण के बाद हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, तो सभी को अपने-अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाने के लिए मजबूर होना पड़ा चाहे वे बैंक हों या टेलीफोन विभाग। जिन्होंने इस बदलाव को पहचान कर नवाचार नहीं किए, वे अप्रासंगिक से हो गए।

आइए हम सब निजी और सरकारी, प्रत्येक क्षेत्र में 'आउट ऑफ बॉक्स' सोचने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करें, ताकि अपने काम करने के तरीकों में नवाचार के माध्यम से निरंतर सुधार कर सकें एवं स्वयं को प्रतिस्पर्धी युग में प्रासंगिक बनाए रख सकें।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

छात्रसंघ नहीं, छात्र संसद होनी चाहिए

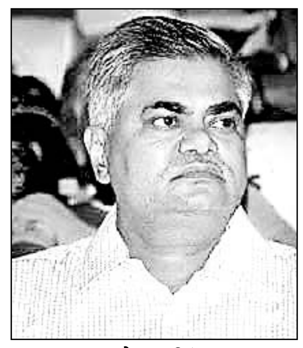

राजेश्वरसिंह

विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में छात्र समुदाय के प्रतिनिधि निकाय के रूप में छात्रसंघ के निर्वाचन का उद्देश्य छात्रों की समस्याओं की तरफ प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कर उनके समाधान के लिए सकारात्मक प्रयास करना तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित कर उन्हें भविष्य के जागरूक व जिम्मेदार नागरिक के रूप में प्रशिक्षित व विकसित करना है। इसका सुखद परिणाम यह रहा है कि छात्रों द्वारा अनुभूत की जा रही समस्याओं के विकराल रूप धारण करने से पूर्व ही छात्रसंघ पदाधिकारियों द्वारा समाधानमूलक प्रयास कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त अनेकानेक छात्रसंघ पदाधिकारियों द्वारा उनके कार्यकाल में अर्जित अनुभव, पहचान, प्रतिष्ठा और लोकप्रियता के आधार पर जन राजनीतिक जीवन में उल्लेखनीय सफलताएँ और महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ अर्जित की गई हैं। पंचायतीराज संस्थाओं, नगरीय निकायों और सहकारी संस्थाओं से लेकर विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव में भी पूर्व छात्रसंघ पदाधिकारियों ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है।

छात्रसंघ की सांगठनिक संरचना पर अगर दृष्टिपात किया जाए तो पूरे देश में एक समान पैटर्न दृष्टिगोचर होता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव तथा संयुक्त सचिव जैसे पदों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जिसमें विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के सभी छात्र मतदाता के रूप में सहभागी होते हैं, साथ ही समानांतर रूप से छात्र प्रतिनिधि सभा अथवा छात्र महासमिति का चुनाव भी होता है, जिससे चुने हुए कक्षा प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। सैद्धांतिक रूप से छात्रसंघ के पदाधिकारी अथवा कार्य समिति उक्त छात्र प्रतिनिधि सभा अथवा छात्र महासमिति के प्रति उत्तरदायी होते हैं किंतु व्यावहारिक रूप से उक्त सदन पर्याप्त रूप से सक्रिय प्रतीत नहीं होता।

छात्रसंघों की उपर्युक्त कार्य पद्धति वस्तुतः अध्यक्षात्मक अथवा कार्यपालक राष्ट्रपति पद्धति के ज्यादा समीप प्रतीत होती है जबकि भारत की संविधान सभा ने व्यापक और विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत देश की शासन पद्धति के रूप में संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार एवं अंगीकार किया था। सामूहिक नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व तथा विमर्श मूलक निर्णय पद्धति संसदीय लोकतंत्र की प्राणवायु तथा मूलाधार है। यदि हम छात्र प्रतिनिधियों को भविष्य में संसदीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिकाओं के निर्वहन के लिए तैयार करना चाहते हैं तो हमें छात्रसंघों की सांगठनिक संरचना को भी इसी अनुरूप संशोधित, परिवर्धित और विनियमित करना चाहिए।

इसके लिए आवश्यक है कि समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ के स्थान पर छात्र संसद स्थापित की जावे, जिसमें चुने हुए कक्षा प्रतिनिधि सदस्य हो। उक्त छात्र संसद अपनी प्रथम बैठक में सभापति (स्पीकर), उपसभापति (डेप्युटी स्पीकर) तथा छात्र प्रमुख (प्रीमियर) का चुनाव करे तथा छात्र प्रमुख कक्षा प्रतिनिधियों में से छात्र मंत्रिमंडल का मनोनयन करे जिसमें वित्त, शिक्षा, क्रीडा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुस्तकालय इत्यादि विभागों के पृथक-पृथक मंत्री एवं उप मंत्री हों। संसदीय लोकतंत्र की तरह छात्र मंत्रिमंडल भी छात्र संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हो तथा सामूहिक नेतृत्व एवं विमर्श मूलक निर्णय पद्धति के आधार पर अपनी कार्यप्रणाली का संचालन करें।

अध्यक्षात्मक के बजाय संसदीय प्रणाली अपनाने से छात्र निकायों में वास्तविक एवं यथार्थ रूप से विमर्श मूलक लोकतांत्रिक प्रक्रिया लागू होगी तथा विभिन्न मुद्दों पर तर्क आधारित विचार विनिमय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा संसदीय प्रणाली में छात्र प्रमुख के अलावा सभापति, उपसभापति, अन्य विभागीय मंत्रियों एवं उपमंत्रियों को अपनी प्रतिभा एवं कार्य क्षमता के समुचित प्रदर्शन का सुअवसर प्राप्त होगा जिससे उनकी एक विशिष्ट पहचान कायम होगी तथा भविष्य का अनुभवी एवं परिपक्व नेतृत्व तैयार होगा।

छात्र संसद के सदस्य के रूप में कक्षा प्रतिनिधियों को भी इसकी बैठकों में यथार्थपरक एवं औचित्यपूर्ण मुद्दे उठाने तथा अपनी वक्तृत्व क्षमता के प्रदर्शन एवं परिष्कार का अवसर मिलेगा जिससे उनमे अध्ययन एवं विश्लेषण की प्रवृत्ति विकसित होगी तथा वे संवाद, प्रस्तुतीकरण व व्याख्यान कला में दक्षता अर्जित कर सकेंगे।

संसदीय प्रणाली अपनाने तथा छात्र प्रमुख के अप्रत्यक्ष चुनाव का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि लिंगदोह कमेटी की सिफ़ारिशें, जो वास्तव में कागज पर सिमट कर रह गई है, उनको वास्तविक रूप से धरातल पर लागू किया जा सकेगा तथा इससे छात्र निकाय के चुनाव में धन-बल के प्रयोग को भी नियंत्रित किया जा सकेगा।

ऐसा नहीं है कि देश में इस तरह की व्यवस्था मौजूद नहीं है। दिल्ली के प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज में छात्र संसद की व्यवस्था संस्था के स्थापना काल से ही अस्तित्व में है और आज तक निरंतरता एवं कुशलतापूर्वक संचालित हो रही है। आवश्यकता इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से देश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में लागू करने की है ताकि इन संस्थाओं के छात्र निकायों में वास्तविक रूप से संसदीय लोकतांत्रिक, सर्व समावेशी, तर्क आधारित एवं विमर्शमूलक परिवेश की संरचना की जा सके। यह परिवर्तन छात्र राजनीति के वर्तमान स्वरूप एवं भारतीय राजनीति के भावी स्वरूप में समग्र क्रांति या आमूल चूल परिवर्तन का प्रस्थान बिंदु बन सकता है।

–राजेश्वरसिंह,
आइएएस (सेवानिवृत्त)

मांची गांव में 10 दिन से सर्पदंश की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत

सांप ने एक महिला को और काटा, अचेत महिला को करौली सामान्य चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड में उपचार के लिए भर्ती कराया

करौली, (निसं)। करौली के निकटवर्ती मांची गांव में गत 10 दिन से सर्पदंश की घटनाओं से ग्रामीण दहशत में है। सोमवार को प्रातः भी एक महिला के सांप के काट लेने से लोग भयभीत हैं।

जानकारी के अनुसार करौली के समीप मांची गांव में सोमवार को प्रातः महिला गीता देवी अपने घर पर ही थी। इस दौरान निकले सांप ने उसे डस लिया जिससे वह अचेत हो गई। परिवारजन उसे करौली सामान्य चिकित्सालय लेकर आए, जहां उसे आईसीयू वार्ड में उपचार के लिए भर्ती कराया। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीण भयभीत से दिखाई दे रहे हैं।

मांची गांव में लगातार हो रही सर्पदंश की घटनाओं को देखते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी ने बताया कि गांव में सांपों की अधिकता की सूचना पर चार कार्मिकों की टीम गठित की गई और करीब आधा दर्जन से अधिक सांपों को पड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। यही नहीं करौली जिला पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय के निवास पर रविवार को लोन में एक लंबा सांप निकला, जिससे अफरा-तफरी सी मच गई। पास ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के आवास से उनके गनमैन प्रधान गुर्जर, वाहन चालक पुष्पेंद्र सहित पुलिस अधीक्षक के गार्ड ने सांप को पकड़कर प्लास्टिक के कट्टे में बंदकर जंगल में छोड़ा। वहीं सोमवार को करौली पुलिस अधीक्षक कार्यालय के साइबर सेल में भी एक लंबा सांप निकला, जिसे देखकर पुलिसकर्मियों में अफरा-तफरी सी मच गई। इस दौरान एक जवान ने सांप को पकडकर दूर ले जाकर छोड़ा।

जानकारी के अनुसार 13 अक्टूबर को भी पुष्पेंद्र तथा उसके पुत्र गर्वित कमरे के बेड पर सो रहे थे। इस दौरान रात करीब दो बजे सांप ने पिता-पुत्र को डस लिया था। परिवारजन चिकित्सालय लेकर पहुंचे जहां पुत्र की हालत गंभीर होने पर उसे उपचार के लिए जयपुर रैफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया जबकि पिता की उपचार के दौरान 14 अक्टूबर को मौत हो गई। मृतक पुष्पेंद्र के छोटे भाई नगेंद्र ने बताया कि परिवार में शोक के चलते वह चाचा बाबू सिंह उर्फ मानसिंह तथा उनके पुत्र दीपेंद्र के साथ मंगलवार रात को मकान के कमरे में जमीन पर पास में ही सो रहे थे। रात करीब चार बजे सर्प ने दीपेंद्र के पैर में काट लिया नगेंद्र ने बताया कि सर्प बाबू सिंह की छाती के उपर से निकाला और उसके नगेंद्र के सीने के ऊपर से गुजर गया इसके बाद प्रातः करीब आठ बजे परिवारजन पीड़ितों को लेकर सामान्य चिकित्सालय पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उन्हें भी आईसीयू वार्ड में भर्ती कर लिया।

दूसरी ओर इसी परिवार से करीब 100 मीटर दूर रहने वाली महिला अंकिता को भी गत बुधवार को प्रातः छह बजे सर्प ने काट लिया जिसे करौली अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद करौली जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना भी अस्पताल पहुंचे और सर्पदंश से पीड़ितों के लिये चिकित्सकों को बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए।

सांप के काटने से अचेत महिला को अस्पताल में भर्ती कराया।

अनुभव प्रमाण पत्र को आधार बनाकर आवेदन खारिज नहीं करें : राजस्थान हाईकोर्ट

जोधपुर, (कास)। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायाधिपति विनीत कुमार माथुर ने एक आदेश पारित कर हनुमानगढ़ के संविदा नर्सिंगकर्मी पवन कुमार शर्मा को अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नियमित सीधी भर्ती नर्सिंग ऑफिसर के लिए विचार करने के आदेश पारित किए।

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी हनुमानगढ़ ने शहीद भगत सिंह प्लेसमेंट एजेंसी से अगस्त 2016 में एक पत्र लिखकर चिकित्सा विभाग में ईसीजी कार्य करने वाले और नर्सिंगकर्मी के लिए योग्य व्यक्तियों के नाम मांगे। प्लेसमेंट एजेंसी ने 12 अगस्त 2016 को पवन कुमार शर्मा नर्सिंग कर्मचारी का नाम प्रस्तावित कर दिया। 16 अगस्त 2016 को पवन कुमार को संविदा पर नर्सिंगकर्मी के पद पर जॉइनिंग दी गई। तब से वह निरंतर चिकित्सा विभाग में कार्य कर रहा है। 5 मई 2023 को नर्सिंग ऑफिसर भर्ती, 2023 के लिए राज्य सरकार ने विज्ञिप्त जारी की, जिसमें पूर्व में पद स्थापित संविदा नर्सिंग कर्मियों को बोनस अंक का प्रावधान किया गया। प्रार्थी पवन कुमार शर्मा को 2016 से कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र प्रमुख चिकित्सा अधिकारी हनुमानगढ़ ने जारी किया। उसी आधार पर प्रार्थी का नाम नर्सिंग ऑफिसर पद पर नियुक्ति हेतु प्रक्रियाधीन था, परंतु निदेशक राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर ने प्रार्थी की संविदा नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए अनुभव प्रमाण पत्र का पुनः सत्यापन करवाया। इसमें भी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी हनुमानगढ़ ने प्रार्थी को नर्सिंगकर्मी का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया। परंतु निदेशक कार्यालय ने उसकी नियुक्ति संबंधी पत्रावली को विचाराधीन रख लिया और कोई निर्णय नहीं किया।

> ■ **कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुनः सत्यापन रिपोर्ट आवेदक के पक्ष में आने पर उसे बोनस अंक भी दिए जाएंगे**

इस पर प्रार्थी पवन कुमार शर्मा ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एडवोकेट एसडी गोस्वामी के माध्यम से याचिका दायर कर निवेदन किया कि प्रार्थी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र माना जावे। इस पर उच्च न्यायालय जोधपुर ने आदेश पारित कर राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर उसकी नियुक्ति के मामले पर विचार करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदक की उम्मीदवारी को खारिज नहीं किया जाएगा, तथा पुनः सत्यापन रिपोर्ट आवेदक के पक्ष में आने पर उसे बोनस अंक भी दिए जाएंगे।

राशिफल मंगलवार 22 अक्टूबर, 2024

पंडित अनिल शर्मा

कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठि तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2081, आर्द्रा नक्षत्र बुधवार प्रातः 5:39 तक, परिघ योग प्रातः 8:46 तक, गर करण दिन 1:39 तक, चन्द्रमा आज मिथुन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-तुला, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-कर्क, बुध-तुला, गुरू-वृष, शुक्र-वृश्चिक, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज यमघट योग सूर्योदय से बुधवार प्रातः 5:51 तक है। रवियोग बुधवार प्रातः 5:51 तक है। भद्रा रात्रि 1:24 से आरम्भ होगी। आज सायन वृश्चिक में सूर्य प्रवेश रात्रि 3:46 पर होगा। आज हेमंत ऋतु आरम्भ होगी।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर 9:23 से 10:47 तक, लाभ-अमृत 10:47 से 1:36 तक, शुभ 3:00 से 4:24 तक।

राहूकालः 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:34, सूर्यास्त 5:48

मेष

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

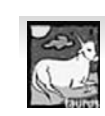

वृष

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी बनी रहेगी। आपसी मतभेद समाप्त होंगे।

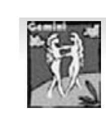

मिथुन

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। संभावित धन प्राप्त होगा।

कर्क

व्यक्तिगत परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। स्वभाव की तेजी पर नियंत्रण रखें।

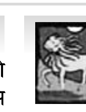

सिंह

आर्थिक/वित्तिय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

तुला

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

वृश्चिक

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

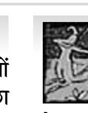

धनु

घर-परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

मकर

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में शुभ कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कुंभ

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी और धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मीन

घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।